रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, सितम्बर 15—सितम्बर 21, 2013, शनिवार/भाद्र 24—भाद्र 30, 1935

No. 38] NEW DELHI, SEPTEMBER 15—SEPTEMBER 21, 2013, SATURDAY/BHADRA 24—BHADRA 30, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 230.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, आशुलिपिक श्रेणी-I, श्रेणी-II और श्रेणी-III भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में आशुलिपिक (श्रेणी-II) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, आशुलिपिक (श्रेणी-II) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या उसका वर्गीकरण, उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक (श्रेणी-II)	*05 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकेगी) । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, (ii) कौशल परीक्षण सन्नियम : श्रुतलेख 10 मिनट @80 शब्द प्रतिमिनट अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी) (केवल कंप्यूटर पर)	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती **टिप्पण :** पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य	लागू नहीं होता

(11)	
परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) में विहित अर्हताएं हैं ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, राजभाषा विभाग [सचिव (राजभाषा) द्वारा नामित] —सदस्य 3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला कोई अधिकारी जो उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य 4. उप निदेशक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[सं. 14034/08/2010-राभा (प्रशि.)]

सूरज भान, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 12th September, 2013

G.S.R. 230.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Stenographer Grade-I, Grade-II and Grade-III Recruitment Rules, 2003 in so far as they relate to the post of Stenographer (Grade-III) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer (Grade-II) in the Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Stenographer (Grade-II) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and Grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc..—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No Person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or pay Scale	Whether selection post or non selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer Grade-II	05* (2013) *subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in case of general candidate and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) 12th Standard pass or equivalent from a recognised Baord or University. (ii) Skill Test Norms : Dictation : 10 minutes @ 80 w.p.m. (only on computers) Transcription : 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi)	Not applicable	Two years

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to made be
(11)	(12)
Direct recruitment through Staff Selection Commission **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the PB-1; Rs. 5200—20200 with grade of Rs. 2400 and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (8).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (i) Director (Central Hindi Training Institute) —Chairman (ii) Under Secretary (to be nominated by the Secretary (OL)Department of Official Language —Member (iii) An Officer to be nominated By Director, CHTI not below the rank of Deputy Director, Central Hindi Training Institute/Central Translation Bureau. —Member (iv) Deputy Director (SC/ST/OBC) Central Hindi Training Institute. —Member	Not applicable.

[No. 14034/08/2010-OL (Trg.)]

SURAJ BHAN, Dy. Secy.